न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 39/2017

अपीलांट

1. मु. सुखकंवर बेवा रणजीतसिंह जी उम्र 75 वर्ष
2. नैनसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी, उम्र 54 वर्ष
3. भाखरसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी उम्र 52 वर्ष
4. म्नोहरसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी उम्र 42 वर्ष
5. मापसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी, उम्र 38 वर्ष, तमाम कौम राजपूत, निवासीगण ऐलाना, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. रघुवीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी उम्र 35 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ऐलाना तहसील व जिला जालोर।
2. नारायणसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी उम्र 58 वर्ष
3. हुकमसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी उम्र 49 वर्ष, जातियान राजपूत, निवासीगण ऐलाना, तहसील व जिला जालोर।
4. खेता पुत्र मोडा
5. जगता पुत्र मोडा, जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण ऐलाना, तहसील व जिला जालोर
6. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा उम्मेदाबाद जरिये शाखा प्रबंधक
7. जालोर सहकारी को –आपरेटिव बैंक सायला जरिये शाखा प्रबंधक
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक
9. सरकार जरिये तहसील जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री हुकमी चंद विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 अनुपस्थित
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक : 19/12/2022

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 46/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ऐलाणा के खसरा नंबर 354, 355 कुल रकबा 7.03 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 15.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 15.06.2017 को नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 20.06.2017 को प्रतिवादीगण को बगैर नोटिस तामिल हुए बगैर जवाब दावा पेश करने का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प ऐलाणा में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यालय से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 09 को किसी प्रकार का नोटिस न तो न्यायालय में उपस्थित होने एवं न ही लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बंटवाडे के प्रकरणो में पहले प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है एवं उसके एक माह के पश्चात अंतिम डिक्री जारी की जाती है। किन्तु उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालत में वो ही दावे व प्रार्थना पत्र निस्तारण किये जा सकते है जिनमे पक्षकारान की आपसी सहमति व रजामंदी हो। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 09 को नोटिस विधिवत तामिल करवाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ऐलाणा के खसरा नंबर 354, 355 कुल रकबा 7.03 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 15.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 20.06.2017 को नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 20.06.2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत ऐलाणा में रखकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज कर पत्रावली दिनांक 20.06.2017 को तलबी हेतु नियत की गई थी। किन्तु अपीलाण्ट्स को जारी किये गए नोटिस/सम्मन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प ऐलाणा में उपस्थिति हेतु जारी नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 20.06.2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत में रखकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। किन्तु प्रतिवादीगण को लोक अदालत की सूचना हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र एक पेशी के दौरान पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में रखकर आनन–फानन में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना प्रकरण में सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी, जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत बंटवाडे के प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर संबधित तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये जाते है। उसके पश्चात उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में धारा 53 के प्रावधानो का पूर्णतया उल्लघंन करते हुए सीधे ही अंतिम निर्णय व डिक्री की है। जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प ऐलाणा में बिना अपीलांट को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अवसर दिये पारित की गई है। अब उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या बिना आपसी सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया जाना उचित है ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो का पूर्णतया उल्लघंन करते हुए विधि विरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 46/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानो की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली